


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी भागचन्द पुत्र भगवान सहाय राजौरा निवासी बौली बनाम तहसीलदार बौली
किस्म प्रकरण- मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 01 / 2024

जीसीएमएस संख्या 2024 / 6

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता.अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुआ
5.3.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राजस्व उपस्थित। पैरोकार राजस्व द्वारा कथन किया कि यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो चुका है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र Infructuous हो जाने के कारण यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पैरोकार राजस्व के कथन से हम सहमत है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र Infructuous हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (डॉ० खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>	

